

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान अवैध शराब विक्रय व निष्कर्षण के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी द्वारा गठित किये गये टीम में नियुक्त उ0नि0 गुलाब चन्द्र चौधरी द्वारा मय पुलिस फोर्स अवधपुर फाटक रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. सन्दीप पासवान पुत्र स्व0 उदयभान 2. विक्की यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी गण देवीपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर से अवैध जहरीली शराब बनाने में प्रयोग कर जनमानस में विक्रय की जाने वाली 50 लीटर अवैध स्प्रिट मय वाहन मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स न0 UP53CX-4359 के साथ बरामद करते हुए, दिनांक 26.11.2020 को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 802 / 2020 धारा 60/63 आब0 अधि0, व 272 भादवि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम पता –

1. सन्दीप पासवान पुत्र स्व0 उदयभान
2. विक्की यादव पुत्र सुबाष यादव निवासीगण देवीपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक – अवधपुर फाटक टोला रेलवे क्रासिंग के पास दिनांक घटना

26.11.2020 समय 03.05 बजे सुबह।

अभियुक्तगण के पास बरामदगी का विवरण – 1. अभियुक्तगण के कब्जे से एक जरिकेन में 50 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद होना। 2. मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स न0 UP53CX-4359(अवैध रूप से स्प्रिट परिवहन किये जाने वाला वाहन)

अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 802 / 2020 धारा 60/63 आब0 अधि0 व 272 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गुलाबचन्द्र चौधरी थाना चौरी चौरा, गोरखपुर
2. हे0का0 लल्लन यादव थाना चौरी चौरा, गोरखपुर
3. का0 संतोष मौर्या थाना चौरी चौरा गोरखपुर
4. का0 रजनीश दूबे थाना चौरी चौरा गोरखपुर
5. का0 विपिन यादव थाना चौरी चौरा गोरखपुर